



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V/80
41/5/23


क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-1182

दिनांक 04/5/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सडक सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1395/552 रकबा 0.56 हैक्ट. के खातेदार श्री अभिजीत चतुर्वेदी पुत्र श्री सुरेश चतुर्वेदी एवं श्रीमती अर्चना चतुर्वेदी पत्नी श्री सुरेश चतुर्वेदी जाति ब्रा. सा. देह. द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।


सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



V/80
4/5/23


क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-1182

दिनांक 04/5/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1395/552 रकबा 0.56 हैक्ट. के खातेदार श्री अभिजीत चतुर्वेदी पुत्र श्री सुरेश चतुर्वेदी एवं श्रीमती अर्चना चतुर्वेदी पत्नी श्री सुरेश चतुर्वेदी जाति ब्रा. सा. देह. द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।


सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Academy
Amul Mahila

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-1111

दिनांक:- 15-2023

-:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गुनि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मांगी लाल अग्रवाल	श्री भौरी लाल शर्मा पुत्र श्री घासी राम राम शर्मा	44	233.33	हसनपुरा-ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	जैन एनक्लेव	लीजडीड	आवंटन पत्र। सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं।
2	श्री सुलील कुमार गर्ग पुत्र श्री मदन लाल गर्ग	श्री भूरी देवी पुत्र पत्नी श्री प्रभाती लाल चौधरी	108	166-36	हुनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति	गणपती एनक्लेव	लीजडीड	आवंटन पत्र। सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:

- उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
- को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P. V.N.

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा.06/2023/डी-

1154
लोक सूचना

दिनांक:

03.05.23

श्री रामेश्वर पुत्र श्री देवा जरिये मुख्यारआम श्री भरतराम मीणा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद जाति मीना निवासी विश्वामित्र नगर, वैद्य जी का चौराहा, मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट)
महापुरा उर्फ कुकरखेड़ा तह0 (जयपुर)	श्री रामेश्वर पुत्र श्री देवा जाति मीना सा.देह खातेदार	27/179	0.2529 हेक्ट
		कुल किता 1	0.2529 हेक्ट

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एस.एस.ओ आई.डी. से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03.05.2023 को जारी की गयी।

54
प्राधिकृत अधिकारी जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित:-

1. श्री रामेश्वर पुत्र श्री देवा जरिये मुख्यारआम श्री भरतराम मीणा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद जाति मीना निवासी विश्वामित्र नगर, वैद्य जी का चौराहा, मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील जयपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. जन सम्पर्क अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 2260

दिनांक: 08/15/2023


सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की फ्री होल्ड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	199	155.00 (व.ग.)	शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना रोहिणी नगर	श्रीमती राज कौर मीणा पत्नी श्री जसराम मीणा	श्रीमती राज कौर मीणा पत्नी श्री जसराम मीणा	सदस्यता सूची मे भूखण्ड संख्या एवं नाम अंकित नही होने के कारण।


उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।


उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1025

दिनांक 03-5-23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	डी-82	श्री राकेश कुमार कुमावत	निजी खातेदारी	श्याम अँगन	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टे हेतु।
2.	2	श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री राजेश जैन	श्री महावीर स्वामी नगर गृ.नि.स.स.	पद्म विहार	लीजडीड हेतु
3.	ए-147	श्रीमती गधुबाला भीणा पत्नी स्व. श्री शिवदत्त बागडी	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार ए ब्लॉक	नामहस्तान्तरण/लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु
4.	K-142	श्री कन्हैयालाल नन्दवानी पुत्र श्री हुन्दल दारा नन्दवानी	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	गणेश विहार विस्तार	फ्री होल्ड लीजडीड हेतु
5.	K-143	श्री सोमदत्त शर्मा पुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल दारा शर्मा	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	गणेश विहार विस्तार	फ्री होल्ड लीजडीड हेतु
6.	KH. No. 782, 783	गणेश नारायण शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा, श्रीमती गिरधारी देवी पत्नी गणेश नारायण शर्मा एवं राम प्रधान पुत्र गणेश नारायण शर्मा	निजी खातेदारी	ग्राम रामचन्द्रपुरा, तह. सांगानेर, जयपुर।	लीज होल्ड से फ्री होल्ड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो गय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त/जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त/जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा साकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी- 100)

दिनांक:- 31/5/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स. /निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	136680	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा पुत्र श्री मातादीन शर्मा	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा पुत्र श्री मातादीन शर्मा	379 ए	110.00	खुदाबादी सोनार	विवेक विहार	नियमन एवं पट्टा विलेख	समिति की रसीद गुम होने बाबत
2.	134027	श्रीमती चमेली देवी पत्नी स्व. श्री बुद्ध प्रकाश बैरवा	श्री बुद्ध प्रकाश बैरवा पुत्र श्री प्रभू दयाल	बी-200	138.88	न्यू पिकसिटी	महेश जगर	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र


उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।


उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8250) : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-1152


दिनांक 03/5/23


आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती राधा रानी पत्नी श्री राजेश गुप्ता	श्रीमती राधा रानी पत्नी श्री राजेश गुप्ता	745	50 वर्गमीटर	जविप्रा	भम्भोरिया/बगरुखुर्द	लीजडीड	आवंटन पत्र
2.	श्रीमती राधा रानी पत्नी श्री राजेश गुप्ता	श्रीमती राधा रानी पत्नी श्री राजेश गुप्ता	697	50 वर्गमीटर	जविप्रा	भम्भोरिया/बगरुखुर्द	लीजडीड	आवंटन पत्र

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


उपायुक्त-जोन-11
जविप्रा, जयपुर।


उपायुक्त-जोन-11
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-905

दिनांक 4/5/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-


क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री छोटू लाल	श्री छोटू लाल खटीक पुत्र श्री रामपाल खटीक	100ए	94.44 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	आवंटन पत्र में कांट-छांट होने पर
2	श्री रामजीलाल शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जालिम सिंह	22	102 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	आवंटन पत्र में कांट-छांट होने पर
3	श्रीमती रुकमणी देवी पत्नी श्री रामचरण लखेरा	स्वयं	08	102 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने के आधार पर
4	श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री कजोडमल धोबी	श्री कजोडमल धोबी पुत्र श्री नन्दलाल धोबी	26	150 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र होने के आधार पर
5	श्री मुन्शी हुसैन पुत्र श्री इब्राहिम रंगरेज	श्री रहीम बक्स मनिहार पुत्र श्री अमीर बक्स मनिहार	93	100 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा बिचौती होने के आधार पर
6	श्री नानगराम कुमावत पुत्र श्री जगन्नाथ	स्वयं	06	166. 66 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	साइट प्लान में कांट छांट होने के आधार पर
7	श्री कन्हैयालाल पुत्र स्व. श्री श्रवण लाल	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह	196	233. 33 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र होने के आधार पर
8	श्री दिनेश कुमार यादव पुत्र श्री शिवजी	श्री कजोड यादव पुत्र श्री भंवर लाल यादव	2	150 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	आवंटन पत्र में कांट-छांट होने के आधार पर
9	श्रीराम गुर्जर पुत्र श्री भंवर लाल गुर्जर	श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री भंवरलाल गुर्जर	80	224 व0ग0	मित्र गृ.नि.स.स	अशोक विहार-ए	लीजडीड	पंजीकृत उपहार पत्र होने से।
10	श्री कैलाश चन्द्र कंवरिया पुत्र श्री रामनारायण	रामनारायण रैगर पुत्र श्री गंगा सहाय रैगर	110ए	175 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	भूखण्ड संख्या 110ए में अन्य व्यक्ति का नाम अंकित होने से।
11.	सुनील कुमार कुमावत पुत्र श्री नन्दलाल कुमावत	श्री सुरज करण पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत	7	162. 41 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	शिवा नगर	लीजडीड	भूखण्ड संख्या 7 पर सुनील कुमार कुमावत पुत्र श्री नन्दलाल कुमावत अंकित होने से।
12.	श्रीमति मिथलेस पत्नी श्री हरिनारायण	श्री राम किशोर शर्मा पुत्र श्री बद्री नारायण शर्मा	74/75 साउथ पार्ट	120. 11 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	शिवा नगर	लीजडीड	आवंटन में कांट-छांट होने से।
13.	श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री फूल सिंह	श्री राम किशोर शर्मा पुत्र श्री बद्री नारायण शर्मा	74/75	91.38 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	शिवा नगर	लीजडीड	आवंटन में कांट-छांट होने से।




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

14.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह	श्री राम किशोर शर्मा पुत्र श्री बंदी नारायण शर्मा	74/75 नॉर्थ पार्ट	91.38 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	शिवा नगर	लीजडीड	आवंटन में कांट-छांट होने से।
15	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री रामकिशोर शर्मा	स्वयं	3	216.66 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	शिवा नगर	लीजडीड	आवंटन में कांट-छांट होने से।
16	श्रीमति शान्ति देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द	श्री ओम प्रकाश बैरवा पुत्र श्री धन्ना राम बैरवा	120ए	100 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	सुरज नगर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा एवं आवंटन में कांट-छांट होने से।
17.	श्री रोशन खां पुत्र श्री निजामुद्दीन	निजामुद्दीन पुत्र सुबराती साह	151	100 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	सदस्य सूचि में नाम अंकित नहीं होने से।
18.	हसीना पत्नी स्व. ईस्लाम	फातमा बेगम पत्नी निजामुद्दीन	152	102 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	हकत्याग, सजरा व सदस्य सूचि में नाम अंकित नहीं होने से।
19.	श्री केदार लाल, ग्यारसीलाल व ओमप्रकाश शर्मा पुत्रान श्री रामगोपाल उर्फ गोपालाल	श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री बंदी नारायण शर्मा	12	250 व0ग0	निजी खातेदारी	केसर नगर-ए	फ्री होल्ड	मृत्यु उपरान्त रजि0 हकत्याग के माध्यम से हस्तान्तरण होने से।
20	श्री विनोद कुमार छीपा पुत्र श्री हनुमान सहाय छीपा	श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी श्री रामकृष्ण	04	200 व0ग0	लूनियावास गृ. नि.स.स.लि.	गोविन्द नगर	लीजडीड	हकत्याग, सजरा व सदस्य सूचि में नाम अंकित नहीं होने से।


उपायुक्त जौन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:—जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।


उपायुक्त जौन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 904

दिनांक 4/5/23

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्ष. (व०ग. में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जि.व.प्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री दिनेश कुमार, टिक्कम कुमार, यादराम पुत्रान बंशीलाल	श्री श्याम प्रसाद दुदुवाल	161	233	इन्दिरा गृ.नि.स.स	श्री कुशल नगर	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में मूल आवंटी का नाम अंकित नहीं होने से।
2	श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा	श्री अशोक कुमार गहनोलिया पुत्र श्री गोविन्दराम	266	138.88	बंधु गृ.नि.स.स	सचिवालय विहार स्कीम नम्बर 27	फ्री होल्ड	अपंजीकृत इकरारनाम के माध्यम से बैचान होने से।
3	श्री हितेश चौधरी पुत्र श्री बद्री नारायण चौधरी	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री बद्रीनारायण चौधरी	49	255.73	सिंधी गृ.नि.स.स	गायत्री नगर	फ्री होल्ड	मृत्यु उपरान्त हस्तान्तरण होने से।
4	श्री गंगाराम शर्मा एवं श्री रतनलाल शर्मा	श्री नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री अमर देवदास शर्मा	54	216.84	निजी खातेदारी	नारायण विहार सी	फ्री होल्ड	मृत्यु उपरान्त हस्तान्तरण होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1015

दिनांक:- 4.5.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	136685	श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी श्री एस सी शर्मा	379 बी	110.00	खुदाबादी सोनार	विवेक विहार	नियमन एवं पट्टा विलेख	समिति की रसीद गुम होने बाबत
2.	130271	श्रीमती भंवर कंवर पत्नी स्व. श्री अमर सिंह	श्री अमर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह	सी-51	266.66	शंकर भवन	पंचशील कॉलोनी	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
3.	137084	श्री पीयूष कन्दोई पुत्र स्व. श्री नरेश कुमार	श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री राधेश्याम कन्दोई	12	447.22	अपोलो नगर	विश्वेसरिया नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
4.	137304	श्री अरिहन्त जैन पुत्र स्व. श्री अहिंसक जैन	श्री अहिंसक जैन पुत्र श्री मानमल जैन	57	173.33	गुलाब बाड़ी	सरती नगर	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
5.	132588	श्री हेतराम कुमावत पुत्र श्री मोदुराम	श्री गोपाल कुमावत पुत्र श्री बोदू राम	एस-30	50.00	न्यू पिंकसिटी	महेश नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड	अपूर्ण दस्तावेज
6.	-	श्री जितेन्द्र कुमार गंगवाल पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद गंगवाल	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री ओम प्रकाश	3 ए (11)	200.00	निजी खातेदारी	जनकपुरी-1	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र
7.	-	श्रीमती कमला शर्मा पत्नी श्री भीमराज शर्मा	श्रीमती कमला शर्मा पत्नी श्री भीमराज शर्मा	100 ए	155.15	अपोलो नगर	विश्वेसरिया नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	सूची में नाम की भिन्नता बाबत

उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसटेशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-7 639

दिनांक 04-5-2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलंगन प्रारूप अनुसार 8 फ्रॉन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... 0-2639

दिनांक 04-5-2023

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश विहार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्तवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार/उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।


ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट.)	स्वामित्व
ग्राम निवारु तहसील जयपुर	281/613	0.7588	प्रभात पुत्र छोदू हि. पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार
	कुल किता 01	0.7588 हेक्टयर	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविदि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा न. 308, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 04-5-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण-12
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
अभियान-12, जविप्रा जयपुर

जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 806

दिनांक 24/5/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दरतावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।


क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./ निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	मैसर्स द्वारिका फैशन जरीये साझेदार श्री मनोज अग्रवाल, श्री जितेन्द्र अग्रवाल एवं श्री हनुमान प्रसाद मंगल पुत्रान श्री मुरारीलाल मंगल	मैसर्स द्वारिका फैशन जरीये साझेदार श्री मनोज अग्रवाल, श्री जितेन्द्र अग्रवाल एवं श्री हनुमान प्रसाद मंगल पुत्रान श्री मुरारीलाल मंगल	डी-247	आवासीय	हनुमान नगर (मोती भवन गृ.नि.स.स.)	555.55 व.ग.	आवासीय	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-

791

दिनांक 1/5/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।


क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री विवेक गोयल पुत्र श्री हनुमान दास गोयल	श्री विवेक गोयल पुत्र श्री हनुमान दास गोयल	325	आवासीय	नेमी सागर (तोपखानादेश गृ.नि.स.स.)	500.00 व.ग.	आवासीय	वाणिज्यिक

उपायुक्त जोन-7
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-

8/1

दिनांक

4/5/2023

आम सूचना


श्रीमती ललता गुप्ता पत्नी श्री हरि प्रसाद गुप्ता द्वारा फ्लैट संख्या ई-2/6 खसरा नं. 16/1 गुप हाउसिंग ब्लॉक-बी का आवंटन पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त फ्लैट श्रीमती ललता गुप्ता पत्नी श्री हरि प्रसाद गुप्ता को लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया था। वर्तमान में प्रार्थिया द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान- 2021 के अन्तर्गत प्रदत्त छूट के क्रम में उक्त फ्लैट का आवंटन जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः श्रीमती ललता गुप्ता पत्नी श्री हरि प्रसाद गुप्ता द्वारा फ्लैट संख्या ई-2/6 खसरा नं. 16/1 गुप हाउसिंग ब्लॉक-बी का आवंटन पत्र जारी किये के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदगण के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd,
उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
उपायुक्त, जविप्रा, जयपुर अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 8/0

दिनांक 4/5/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री पंकज गोयल पुत्र श्री भागीरथ गोयल	श्रीमती शान्ति गोयल पत्नी श्री भागीरथ गोयल	460 ए	168.36 व.ग.	तोपखानादेश	नेमी सागर	नाम हस्तान्तरण/ फ्री होल्ड पट्टा हेतु	पंजीकृत वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के आधार पर

उपायुक्त, प्रौद्योगिकी अधिकारी
उपायुक्त, जविप्रा, जयपुर
जोन-7, आंधी, जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट


विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती गीता प्रकाश शर्मा पत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा	श्रीमती गीता प्रकाश शर्मा पत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा	50-ए	शिवशंकर गृ.नि. स.स	अशोक विहार	फ्रीहोल्ड लीजडीड	पी.टी.सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 343.63 वर्ग गज की लीजडीड बाबत।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2022/ क्रमांक:/डी-
दिनांक 415/2023

2241


उपायुक्त, जोन-9
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ए/2022/डी-118/

दिनांक 04/5/23


सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार प्राईम मार्क प्रोपकोन प्रा.लि. जरिये निदेश श्री महेश अग्रवाल पुत्र श्री प्रहलाद अग्रवाल पंजीकृत कार्यालय बेसमेन्ट, लक्ष्मीनारायण चैम्बर्स 3 विकास मार्ग कॉर्नर, मानसिंहपुरा टॉक रोड, जयपुर द्वारा ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर ख.नं. 953, 954, 956, 958/5, 959/3 कुल किता 5 कुल रकबा 1.74 हैक्ट में से 19564.73 वर्गगज (16358.47) अनुमोदित/रूपान्तरित भूमि में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर ख.नं. 953, 954, 956, 958/5, 959/3 कुल किता 5 कुल रकबा 1.74 हैक्ट में से 19564.73 वर्गगज (16358.47) भूमि की लीजडीड आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी किया गया था। प्रकरण में कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी. पी.सी(एल.पी.) की 297वीं बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।


अतः ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर ख.नं. 953, 954, 956, 958/5, 959/3 कुल किता 5 कुल रकबा 1.74 हैक्ट में से 19564.73 वर्गगज (16358.47) अनुमोदित/रूपान्तरित भूमि का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) से आवासीय योजना प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में आवासीय मानचित्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 4/5/23 को जारी की गयी।


उपायुक्त, जोन-11
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावे।
- खातेदार प्राईम मार्क प्रोपकोन प्रा.लि. जरिये निदेश श्री महेश अग्रवाल पुत्र श्री प्रहलाद अग्रवाल पंजीकृत कार्यालय बेसमेन्ट, लक्ष्मीनारायण चैम्बर्स 3 विकास मार्ग कॉर्नर, मानसिंहपुरा टॉक रोड, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।


उपायुक्त, जोन-11
जयपुर
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ- ()जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी- 1178

दिनांक 09/05/23

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत एवं प्रभावी मास्टर प्लान विकास योजना 2025 जयपुर क्षेत्र में निम्नानुसार उपान्तरण का प्रस्ताव है:-


:-प्रस्तावित उपान्तरण:-

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित ग्राम मदरामपुरा तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बरान 494/756, 507, 508, 509, 510, 531, 531/762, 532, 533, 534, 535, 541, 541/1, 536, 537, 540, 539/1, 542, 542/1, 543, 544, 538, 539, 558, 559, 546, 545, 557, 562, 563, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 560/1, 560 / 2, 89/3, 89/2, 89/1, 239, 242, 238, 237, 221, 221/1, 222/2, 223, 223/780, 232, 318, 228/800, 228, 319, 316, 345, 346, 347, 343, 344, 340, 341, 339, 338, 337, 337/835, 342, 342/1, 342/2, 342/3, 342/816, 70, 68, 67, 69, 66, 65, 65/843, 252, 251/842, 251, 254, 253, 255/773, 255/3, 250, 249, 248, 256, 257, 255/1, 255 / 2, 45, 44, 43, 42, 41, 53, 53/1, 54, 54/836, 52, 37, 38, 39, 73, 73/1, 72, 74, 74/1 रकबा 32.00 हैक्ट. ग्राम केश्यावाला तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बरान 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 32/877, 31/876, 30 / 875, 43, 44, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48, 72, 73, 89, 81/1, 89/2, 89/3, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 79, 80, 155, 164, 165, 166, 167, 168, 163 रकबा 11.28 हैक्ट. ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बरान 1091, 1092/2, 1092/1, 1092, 1096, 1097, 1098, 1119, 1120, 1121, 1126, 1125, 1123, 1132, 1133, 1134, 1131, 1130, 1124, 1129 रकबा 4.38 हैक्ट. ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बरान 2144/1, 2144/3, 3012/2144, 3034/3012 2144/2, 2144/4, 2169, 2165, 2145/1, 3013/2145, 3033/2145, 2146, 2147/1, 2147/2, 3043/2147, 2164, 2163, 2162, 2160, 2166, 2168, 2167, 2170, 2171, 2172/1, 2175/2, 2176, 2176/1, 2177/2, 2145/2, 3012/2145, 2145/2, 2145/3, 2178/3, 2178/1, 2177/2, 2177/1, 2159/1, 2159/2, 2180/3, 2180/1, 2179/1, 2179, 2179/2 2180/ 2, 2148, 2148/1, 2154, 2153, 2154/1, 2151, 2151/1, 2149/4, 2149/2, 2149/1, 2149/3, 2150, 2150/1, 2151, 2200, 2152,

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फ़ैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

2199/2846, 2199, 2198, 2195/2, 2195/1, 2195/3, 3028/2195, 2194/1, 2194/2
2196/2, 2196/1, 3029/2196, 2197/2, 2197/3, 2197 / 1, 2201 2202 / 1 2202 / 2
रकबा 14.03 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किया जाना
प्रस्तावित है।

अतः कोई भी व्यक्ति अथवा इस संस्था के सूचना के दो राज्य स्तरीय
समाचार-पत्रों में प्रकाशन की तिथि से, 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त
उपान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते
है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक.....31.5.23.....को जारी की गई है।

उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
3. तहसीलदार, तहसील सांगानेर ।
4. Sanganer, Enviro Project Development (SEPD) मारुति कॉलोनी के सामने, चौधरी टेन्ट हाउस, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर-302029 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
5. निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन जविप्रा स्तर से दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों (आठ के फोन्ट साईज) में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें ।


उपायुक्त जोन-11

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय) फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

10*

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

D-879

Date - 21.4.2027

आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रायधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जयपुरा, जयपुर को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (ग.नि. स.स / निजी खातेदारी योजना)	भूखण्डका क्षेत्रफल	मास्टर प्लान 2025/जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया।
1.	PRN-South-II	श्री भंवर सिंह पुत्र श्री पोकरमल जाट एवं श्रीमती शांति चौधरी पत्नी श्री भंवर सिंह	श्री भंवर सिंह पुत्र श्री पोकरमल. जाट एवं श्रीमती शांति चौधरी पत्नी श्री भंवर सिंह	124	आवासीय	हरदनपुरा "ए" गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना महावीर नगर-बी.	340.68 व.ग.	सेक्टर व्यावसायिक (12 मीटर गहराई तक एवं आवासीय)	मिश्रित

उपायुक्त जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जयपुरा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जयपुरा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान), जयपुरा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुरा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाश करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जयपुरा, जयपुर।

सेक्टर-12 मानसरोवर, रजनीम, जयपुर-302020

फोन : 0141-2569006 (एक्सटेंशन संबंधित कार्यालय) e-mail : संबंधित अधिकारी का ईमेल

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102555

दिनांक : 04 / 05 / 2023

लोक सूचना

मैसर्स न्यू पाथ डवलपर्स एलएलपी जरिये अधिकृत साझेदार श्रीमती सुगन धाकड पत्नी श्री हिमांशु नागर, कार्यालय पता 508, ओके प्लस टॉवर, के.वी.5 के पास, मानसरोवर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, सांगानेर (जयपुर)	न्यू पाथ डवलपर्स एल.एल.पी.	695 / 679	650.00	0.0650
कुल					0.0650

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिनों के भीतर-भीतर अपनी एसाएराओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04.05.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी-

2292

दिनांक:- 4/5/2023

सार्वजनिक सूचना

ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि का विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	ग्राम एवं तहसील का नाम	खसरा नम्बर	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	गोनेर तहसील सांगानेर	1922, 1924, 1946, 1993, 2044, 1428, 1434, 1444, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2045, 2045/3474, 2046, 2047, 2048, 2049 का हिस्सा सम्पूर्ण 1986 हि. 1/4 1891, 1892 हि. 1/2, 3172, 3173 हि. 1/2 कुल क्षे. 81925 व.मी. का आरक्षण पत्र क्रमांक 4883 दिनांक 1.08.2022 प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा जाति बारागांव ब्रह्मण निवासी गोनेर के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात श्री प्रहलाद की दिनांक 26.9.2022 को मृत्यु हो चुकी है।	रिंग रोड परियोजना	सूरज नारायण शर्मा, बालकृष्ण, गजानन्द पुत्रान प्रहलाद, इन्द्रा, राधा पुत्रियां प्रहलाद, अश्वनी शर्मा पुत्र रमेश रोशन शर्मा पत्नी रमेश	प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा स्व घोषणा पत्र (सजरा वंशावली) सरपंच ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा प्रमाणीकरण के अनुसार स्व. प्रहलाद शर्मा पुत्र स्व. भौरीलाल शर्मा के वारिस निम्न है :- सीता देवी पत्नी प्रहलाद (फोट) इन्द्रा, राधा पुत्रियां, सूरजनारायण, बालकृष्ण, गजानन्द, रमेश चन्द शर्मा (फोट) दिनांक 16.9.20 को मृत्यु हो जाने पर इनके वारिस रोशन शर्मा (पत्नी) अश्वनी (पुत्र) है।
2.	गोनेर तहसील सांगानेर	1890, 1893, 1895, 1899, 1900, 1907 कुल रकबा 3.52 हैक्टे. का आरक्षण पत्र क्रमांक डी-1008 दिनांक 29.09.08 को प्रहलाद पुत्र भौरीलाल हि. 1/4 सूरजनारायण, रमेश बालकिशन उर्फ दामोदर नाबालिग वली प्रहलाद पिता खुदा हि. 3/4 जाति बारागांव ब्रह्मण निवासी गोनेर के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात श्री प्रहलाद की दिनांक 26.9.2022 को मृत्यु हो चुकी है।	रिंग रोड परियोजना	सूरज नारायण शर्मा, बालकृष्ण, गजानन्द पुत्रान प्रहलाद, इन्द्रा, राधा पुत्रियां प्रहलाद, अश्वनी शर्मा पुत्र रमेश रोशन शर्मा पत्नी रमेश	प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा हि. 1/4 सूरज नारायण, बालकृष्ण पुत्र प्रहलाद, रोशन पत्नी रमेश, अश्वनी पुत्र रमेश हि. 3/4	

-54-
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर